कार्यालय निदेशक,
लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र.
11–बटलर रोड (तिलक मार्ग) लखनऊ।

विज्ञापन संख्याः–**GKS 01**/सामान्य नियुक्ति/2021

लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन

लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. हेतु समूह ''ख'' व ''ग'' के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑफलाइन पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित है। व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अन्य माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत है।

1. रिक्तियों की संख्या एवं श्रेणीवार आरक्षणः–

क्र.सं.	पदनाम	पदो की संख्या	आरक्षण				अनारक्षित (सबके लिए)
			अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	
1.	सहायक निदेशक	02(दो)	00	00	01	00	01
2.	विषय विशेषज्ञ	06(छह)	00	01	01	00	04
3.	प्रकाशन अधिकारी	01(एक)	00	00	00	00	01
4.	प्रशिक्षक	03(तीन)	00	00	00	00	03
5.	पुस्तकालयाध्यक्ष (मुख्यालय)	01(एक)	00	00	00	00	01
6.	सम्परीक्षा सहायक	01(एक)	00	00	00	00	01
7.	यंत्र पर्यवेक्षक	01(एक)	00	00	00	00	01
8.	ज्येष्ठ सहायक कम लेखाकार	03(तीन)	00	00	01	00	02
9.	पुस्तकालयाध्यक्ष (केन्द्र)	05(पॉच)	00	01	01	00	03
10.	लेखालिपिक	01(एक)	00	00	00	00	01
11.	कैशियर कम लेखालिपिक	01(एक)	00	00	00	00	01
12.	आशुलिपिक (केन्द्र)	05(पॉच)	00	01	01	00	03
13.	कनिष्ठ सहायक/टंकक (डाटा एण्ट्री आपरेटर)	04(चार)	00	01	01	00	02
14.	विद्युतकार	01(एक)	00	00	00	00	01
15.	विद्युतकार कम ट्यूबवेल आपरेटर	04(चार)	00	01	01	00	02
	योगः–	39(उन्तालीस)	00	05	07	00	27

- उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार निदेशक लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उत्तर प्रदेश के पास सुरक्षित होगा।
- आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य होगा।

➢ विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में साक्षात्कार/परीक्षा एक से अधिक दिवसों/पालियों में करायी जायेगी।

2.वेतनमान–

क्र.सं.	पदनाम	वेतन बैण्ड	ग्रेड पे	लेवल	वेतन मैट्रिक्स
1.	सहायक निदेशक	15600–39100	5400	10	56100–177500
2.	विषय विशेषज्ञ	9300–34800	4600	7	44900–142400
3.	प्रकाशन अधिकारी	9300–34800	4600	7	44900–142400
4.	प्रशिक्षक	9300–34800	4200	6	35400–112400
5.	पुस्तकालयाध्यक्ष (मुख्यालय)	9300–34800	4200	6	35400–112400
6.	सम्परीक्षा सहायक	5200–20200	2800	5	29200–92300
7.	यंत्र पर्यवेक्षक	5200–20200	2800	5	29200–92300
8.	ज्येष्ठ सहायक कम लेखाकार	5200–20200	2800	5	29200–92300
9.	पुस्तकालयाध्यक्ष (केन्द्र)	5200–20200	2800	5	29200–92300
10.	लेखालिपिक	5200–20200	2800	5	29200–92300
11.	कैशियर कम लेखालिपिक	5200–20200	2800	5	29200–92300
12.	आशुलिपिक (केन्द्र)	5200–20200	2400	4	25500–81100
13.	कनिष्ठ सहायक/टंकक (डाटा एण्ट्री आपरेटर)	5200–20200	1900	2	19900–63200
14.	विद्युतकार	5200–20200	1900	2	19900–63200
15.	विद्युतकार कम ट्यूबवेल आपरेटर	5200–20200	1900	2	19900–63200

3.सामान्य अर्हतायें:–

(3.1) राष्ट्रीयता– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:–

(3.1-a) भारत का नागरिक हो, या

(3.1-b) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आये हो,

(3.1-c)भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्याँम्नार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया से माइग्रेट किया हो, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया जा चुका हो तथा पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा। पात्रता प्रमाण–पत्र में दी गई अवधि के पश्चात सेवा में नहीं रखा जायेगा जब तक उसे भारतीय नागरिकता का प्रमाण–पत्र न प्राप्त कर लिया हो।

(3.2) आयु सीमा:–

दिनाँक 01.07.2021 को न्यूनतम आयु – 21 वर्ष

दिनाँक 01.07.2021 को अधिकतम आयु – 40 वर्ष

नोट:– (1) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2021 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1981 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष हैं अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1966 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(2) अधिकतम आयु सीमा में छूटः— उ.प्र. की अनुसूचित जाति, उ.प्र. की अनुसूचित जनजाति, उ.प्र. के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, उ.प्र. के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उ.प्र. राज्य सरकार के कर्मचारियों, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उ.प्र. के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1976 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(3.3) चरित्र प्रमाण पत्र—

(3.3-a) अभ्यर्थी को अन्तिम शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3.3-b) अभ्यर्थी जिस क्षेत्र का निवासी है उस क्षेत्र के दो ऐसे संभ्रान्त व्यक्तियों, जो अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों, से सतचरित्रता का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(3.3-c) सेवा के मध्य कभी भी पुलिस द्वारा अच्छे चरित्र के प्रतिकूल सूचित किया जाता है तो उसे निरन्तर सेवा में रहने की आज्ञा नहीं दी जायेगी तथा उसकी सेवायें बिना किसी नोटिस, प्रतिकर अथवा वेतन के निरस्त कर दी जायेगी।

(3.4) स्वस्थता प्रमाण पत्र—

प्रत्येक अभ्यर्थी जो परिणाम के आधार पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाये गये हों, को सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिसे लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृत किया हो, से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(3.5) वैवाहिक स्थिति—

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जो` पहले से ही विवाहित हो।

(3.6) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र तथा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियन्त्रणाधीन किसी प्राधिकरण, निगम या निकाय द्वारा सेवा से पदच्युत व्यक्ति/अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए आरोपित दोष सिद्ध व्यक्ति/अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होंगे।

4.अनिवार्य अर्हतायेंः—

लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उत्तर प्रदेश में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु पदानुसार अनिवार्य अर्हतायें निम्नवत हैंः—

क्र.सं.	पदनाम	न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक योग्यता	न्यूनतम अनुभव
1.	सहायक निदेशक	एम.एस.सी.(कृषि),	किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था में कम से कम 5 वर्ष का प्रशासनिक/प्रशिक्षण/ शोध कार्य का अनुभव। वरीयता—कृषि के किसी विषय में पी.एच.डी.।
2.	विषय विशेषज्ञ	एम.एस.सी.(कृषि),एग्रोनॉमी/ एन्टमॉलॉजी एवं प्लांट पैथालॉजी	वरीयता— 3 वर्ष का किसी सरकारी/ अर्द्धसरकारी संस्थान में शोध/प्रशिक्षण/ एक्सटेन्शन का अनुभव।
3.	प्रकाशन अधिकारी	एम.एस.सी.(कृषि), कृषि प्रसार	वरीयता—कृषि विषय में पी.एच.डी.। 5 वर्ष का किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग के प्रचार एवं प्रसार कार्य का अनुभव।
4.	प्रशिक्षक	एम.एस.सी.(कृषि),एग्रोनॉमी/ एन्टमॉलॉजी एवं प्लान्ट पैथालॉजी।	वरीयता— 2 वर्ष का किसी सरकारी/ अर्द्धसरकारी संस्थान में शोध/प्रशिक्षण/ एक्सटेन्शन का अनुभव।

5.	पुस्तकालयाध्यक्ष (मुख्यालय)	स्नातक तथा बैचलर डिग्री ऑफ लाइब्रेरी साइन्स	वरीयता–सूचना तकनीकी **(information science)** का ज्ञान एवं सम्बन्धित विषय में मास्टर डिग्री अथवा किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्रतिष्ठित पुस्तकालय में लाइब्रेरियन पद का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।
6.	सम्परीक्षा सहायक	(1)बी.काम./एकाउन्टेन्सी में डिप्लोमा, (2)**DOEACC** या किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी कम्प्यूटर ज्ञान/**CCC** प्रमाण पत्र।	वरीयता चार्टेड एकाउन्टेन्ट अथवा सम्परीक्षा कार्य का किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्रतिष्ठित संस्था में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।
7.	यंत्र पर्यवेक्षक	इण्टरमीडिएट	रेडियो इन्जीनियरिंग का डिप्लोमा तथा कम से कम 2 वर्ष का किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में कार्य का अनुभव।
8.	ज्येष्ठ सहायक कम लेखाकार	(1)कॉमर्स ग्रेजुएट, एकाउन्टेन्सी का डिप्लोमा (2)**DOEACC** या किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी कम्प्यूटर ज्ञान/ **CCC** प्रमाण पत्र।	वरीयता–कम से कम 5 वर्ष का किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में लेखा कार्य का अनुभव।
9.	पुस्तकालयाध्यक्ष (केन्द्र)	स्नातक तथा बैचलर डिग्री ऑफ लाइब्रेरी साइन्स	वरीयता–सूचना तकनीकी **(information science)** का ज्ञान एवं सम्बन्धित विषय में मास्टर डिग्री अथवा किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्रतिष्ठित पुस्तकालय में लाइब्रेरियन पद का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।
10.	लेखालिपिक	(1)बी.काम./एकाउन्टेन्सी में डिप्लोमा, (2)**DOEACC** या किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी कम्प्यूटर ज्ञान/ **CCC** प्रमाण पत्र।	वरीयता– 3 वर्ष का किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में लेखा कार्यों का अनुभव।
11.	कैशियर कम लेखालिपिक	(1)बी.काम./एकाउन्टेन्सी में डिप्लोमा, (2) **DOEACC** या किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी कम्प्यूटर ज्ञान/ **CCC** प्रमाण पत्र।	वरीयता– 2 वर्ष का किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी /प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में लेखा कार्यों का अनुभव।
12.	आशुलिपिक (केन्द्र)	(1)इण्टरमीडिएट (2)हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति। (3) हिन्दी तथा अंग्रेजी में 30 व 35 शब्द प्रति मिनट टंकण गति। (4) **DOEACC** या किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी कम्प्यूटर ज्ञान/**CCC** प्रमाण पत्र।	वरीयता– 2 वर्ष का किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में सामान्य कार्यालय कार्य का अनुभव।
13.	कनिष्ठ सहायक/टंकक (डाटा एण्ट्री आपरेटर)	(1)इण्टरमीडिएट (2)हिन्दी तथा अंग्रेजी टंकण में 30 व 35 शब्द प्रति मिनट टंकण गति। (3) **DOEACC** या किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी कम्प्यूटर ज्ञान/ **CCC** प्रमाण पत्र।	वरीयता– 2 वर्ष का किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/ प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में सामान्य कार्यालय कार्यों का अनुभव।
14.	विद्युतकार	(1) हाईस्कूल उत्तीर्ण (2) आई.टी.आई. से विद्युत में डिप्लोमा।	वरीयता– 2 वर्ष का किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था में कार्य का अनुभव।
15.	विद्युतकार कम ट्यूबवेल आपरेटर	(1) हाईस्कूल उत्तीर्ण (2) आई.टी.आई. से विद्युत में डिप्लोमा।	वरीयता– 2 वर्ष का किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था में कार्य का अनुभव

5.श्रेष्ठता का निर्धारण/चयन प्रक्रिया–

लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. हेतु पदानुसार योग्य अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के कुल अंक 100 के सापेक्ष मूल्यांकन की पद्धति निम्नवत होगीः–

(5.1) शैक्षणिक योग्यता के अंक– अधिकतम 50 अंक

(5.1-a) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अधिकतम 20 अंक

योग्यता	अधिकतम अंक	60 प्रतिशत तक	61 से 70 प्रतिशत तक	71 से 80 प्रतिशत तक	81 से 90 प्रतिशत तक	90 प्रतिशत से ऊपर
हाईस्कूल	अंक–10	2	4	6	8	10
इण्टरमीडिएट	अंक–10	2	4	6	8	10

(5.1-b) स्नातक अधिकतम 20 अंक

योग्यता	अधिकतम अंक	45 प्रतिशत से कम	46 से 60 प्रतिशत	61 से 75 प्रतिशत	75 प्रतिशत से ऊपर
स्नातक	अंक–20	11	14	17	20

(5.1-c) उच्चतर/प्रोफेशनल शिक्षा (प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी/तृतीय श्रेणी) 10 अंक अतिरिक्त

योग्यता	अधिकतम अंक	तृतीय श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	प्रथम श्रेणी
उच्चतर/प्रोफेशनल शिक्षा	अंक–10	6	8	10

(5.2) वांछित पद पर कार्य अनुभव के अंक – अधिकतम 40 अंक

पदानुसार वांछित अवधि का अनुभव के अंक	30
अधिक अनुभव के अधिकतम अतिरिक्त अंक	10

(5.3) व्यक्तित्व एवं दक्षता का आंकलन – अधिकतम 10 अंक

6.अनिवार्य अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरणः–

(6.1) अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित अर्हता सम्बन्धित योग्यता प्रमाण पत्र/अंकपत्र/जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की एक–एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी तथा मूलप्रतियाँ अभिलेखों के जॉच के समय जमा करनी होंगी।

(6.2) किसी प्रकार की गलत सूचना प्राप्त होने/देने पर, बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उत्तर प्रदेश के पास सुरक्षित होगा।

(6.3) किसी भी स्तर पर आवेदन में दी गयी सूचना में बदलाव (यथा नाम, जन्मतिथि, जाति श्रेणी आदि) नहीं किया जायेगा।

(6.4) अर्हता सम्बन्धी समस्त अभिलेखों की जाँच हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं स्थल पर उपस्थिति होना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में चयन प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए, अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा एवं कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा।

7.अधिकतम आयु सीमा में अनुमन्य छूटः–

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

8.आरक्षण :–

(8.1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण उ.प्र. शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी होने वाले शासनादेशों, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा अंगीकृत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार लागू होगें। आरक्षण का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करें।

(8.2) नवीनतम शासनादेश के अनुसार विज्ञापित पदों के विरूद्ध गणनानुसार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों हेतु पद उपलब्ध नहीं हैं।

9.अनापत्ति प्रमाण पत्र :–

यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

10.आवेदन शुल्क एवं चार्जेज :–

1.	उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु	रू. 300/–प्रति आवेदन
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) , अनारक्षित	रू. 500/–प्रति आवेदन

(10-1) आवेदन शुल्क/चार्जेज डिमॉड ड्राफ्ट द्वारा जो कि निदेशक, उ0प्र0 गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ के नाम, जो लखनऊ में देय हो, के माध्यम से जमा होगा, इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं होगा।

(10-1) आवेदन शुल्क एवं चार्जेज के मद में जमा की गयी धनराशि किसी भी दशा में न तो वापस की जायेगी और न ही स्थानान्तरित अथवा किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जायेगी।

11.आवेदन कैसे करें:–

आवेदन के लिए लिंक लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान उ.प्र. की वेबसाइट **www.upgannasansthan.in** को खोलें, पेज खुलने पर आवेदन हेतु दिये गये निर्देशों को भली–भॉति समझें एवं प्रोफार्मा आवेदन पत्र को डाउनलोड/प्रिन्टआउट निकाल कर निर्देशानुसार पूर्ण करें। पूर्ण आवेदन पत्र को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान

संस्थान, उ.प्र., 11–बटलर रोड (तिलक मार्ग) लखनऊ, पिनकोड नं.–226001 के पते पर भेजें। साक्षात्कार/परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना आपके रजिस्टर्ड ईमेल एवं मोबाइल नं0. पर अथवा लिखित रूप में प्रेषित की जायेगी।

12.प्रवेश पत्रः–

पदवार साक्षात्कार/परीक्षा एवं दक्षता(आशुलेखन/टंकण) परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा गन्ना किसान संस्थान की वेबसाइट **www.upgannasansthan.in** से डाउनलोड करना होगा तथा इसकी सूचना आवेदन पत्र में दिये गये रजिस्टर्ड मोबाइल नं0. पर SMS एवं रजिस्टर्ड ईमेल पर मेल द्वारा प्रेषित की जायेंगी। प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल लखनऊ(उत्तर प्रदेश) होगा।

14.महत्वपूर्ण तिथियाँः–

क्र.सं.	विवरण	तिथि
1.	आवेदन प्राप्त किये जाने की तिथियाँ	05.10.2021 से 25.10.2021 तक
2.	साक्षात्कार/परीक्षा एवं दक्षता(आशुलेखन/टंकण) की सम्भावित तिथि	दिसम्बर, 2021 का तृतीय सप्ताह